

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1951/2012/बीकानेर.  
2. अपील संख्या - 1952/2012/बीकानेर.

मैसर्स स्पार्कल सुगर कैण्डी, रथखाना, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, वृत्त-बी, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या - 1953/2012/बीकानेर.  
4. अपील संख्या - 1954/2012/बीकानेर.

मैसर्स स्टैण्डर्ड स्वीट प्रोडक्ट्स, रथखाना, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, वृत्त-बी, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त सभी अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 287, 292, 286, 289/आरएसटी/बीकानेर/2011-12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 26.9.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-बी, बीकानेर (जिन्हें आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि क्रमशः वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 सपठित वैट अधिनियम की धारा 26 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

31

31

लगातार.....2

3. उक्त सभी प्रकरण में एक ही विधिक बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 की धारा 30 सपटित वैट अधिनियम की धारा 26 के तहत पूर्व पारित कर निर्धारण आदेशों को रिओपन करते हुए मीठी गोली (Sugar Candy) को कन्फैक्शनरी मानते हुए 8 प्रतिशत की कर दर से कर एवं ब्याज आरोपित किया है।

4. उक्त समस्त वर्षों के आदेश पूर्व में विभाग द्वारा समान रूप से किए गये थे उनमें निर्मित माल sugar candy को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम हीरालाल मुरलीधर (1993) 16 टैक्स वर्ल्ड, 32 निर्णय के आलोक में निर्मित माल में 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज होने के आधार पर "Sugar" का ही रूप मानते हुए एवं "शक्कर" करमुक्त होने से कोई कर आरोपित नहीं किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देश उपा/ए.ई/09/738 दिनांक 22/3/2010 की पालना में प्रकरणों में धारा 30 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर sugar candy को कर योग्य माना जबकि उनके माल में सुक्रोज की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक थी।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित समस्त कर निर्धारण आदेश इस विधिक बिन्दु पर ही अपास्तनीय हैं क्योंकि प्रकरण में न तो कोई turnover निर्धारित होने से रह गई है एवं न ही कोई कर आरोपण से छूटा है बल्कि पूर्व में पूर्ण विचार कर आदेश पारित किए गए थे एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशों के तहत धारा 30 में कर निर्धारण करना विधि में अंकित नहीं है। यह भी विशिष्ट कथन किया कि वर्ष 2003-04 के कर निर्धारण में भी महालेखाकार (A.G.) द्वारा आक्षेप किया जाने पर धारा 30 में नोटिस जारी किए गए थे परन्तु सुनवाई के बाद एवं लेबोरेट्री टेस्ट के बाद आक्षेप दिनांक 02.01.2007 के पत्र संख्या 2108 से निरस्त कर दिए थे। इस तरह इसी बिन्दु पर विचार कर आक्षेप निरस्त होने के बाद भी इसी बिन्दु के आधार पर कर निर्धारण आदेश पुनः reopen करना विधि के विरुद्ध है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.6.2009 का हवाला देते हुए कथन किया कि इस पत्र में उन्होंने स्वयं ने यह स्पष्ट सूचना वाणिज्यिक कर अधिकारी को दी थी कि ऑडिट आक्षेप समाप्त कर दिया है तथा सुक्रोज की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक होने से कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है।




6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में स्वयं ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के सुसंगत भाग का हवाला दिया है उसमें sugar candy को केवल sugar मानने का निर्णय है। यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा sugar candy को sugar माना गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुत रिविजन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विभाग के विरुद्ध cost भी लगाई गई है, जबकि अपीलीय अधिकारी ने इस निर्णय को नहीं मानते हुए अपील अस्वीकार की है, जो न्यायविधि के विरुद्ध है। यह भी कथन किया कि इस बिन्दु पर समान मामले में पूर्व के पदस्थापित अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2010 को Prakash Biscuits Sweet Vs AC अपील संख्या 36/RST/बीकानेर 09-10 में व्यवहारी की अपील स्वीकार कर यह निर्णय दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी sugar candy जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज की मात्रा है वह करमुक्त होगी।

7. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित प्रकरणों में बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर धारा 58 के तहत जो शास्ति का आरोपण किया गया है वह भी उचित नहीं है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का कथन किया।

8. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

10. उक्त प्रकरण के पूर्णतया समान तथ्यों एवं विधिक बिन्दु पर कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 419-422/2012/बीकानेर मैसर्स राज फूड प्रोडक्ट्स, बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, बीकानेर व मैसर्स राज फूड इण्डस्ट्रीज, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-पंचम, वृत्त-ए, बीकानेर निर्णय दिनांक 11.07.2018 में इसी खण्डपीठ द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत रिविजन संख्या 199/1988 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर बनाम हीरालाल मुरलीधर निर्णय दिनांक 08.07.1992 में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की गयी हैं। अतः उक्त निर्णय

लगातार.....4

दिनांक 11.07.2018 के आलोक में आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर हस्तगत चारों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 26.9.2012 व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 02.12.2010 अपास्त किये जाते हैं।


11. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर धारा 58 के तहत जो शास्ति का आरोपण किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति की पुष्टि की गयी है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की चारों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।



( ओमकार सिंह आशिया )  
सदस्य



( क. एल. जैन )  
सदस्य